उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-59/2020/823/92-2-2020-55एम(जांच)/2019

लखनऊ :: दिनांक:: 13 मार्च, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल चित्रकूटधाम बांदा के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत सी0जी0एफ0 की धनराशि से जनपद चित्रकूट के क्लस्टर कसहाई की 06 ग्राम पंचायतो में 56 गलियों जिसमें ग्राम पंचायत लोढवारा की तीन गलियों-1- हरी बढई के घर से भगवार माली के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली, लम्बाई 145 मीटर। 2- रामप्रसाद के घर से जानकी का पुरवा तक सी0सी0 रोड एवं नाली, लम्बाई 375 मीटर। 3- राम औतार के घर से बारेलाल कुशवाहा के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली, लम्बाई 120 मीटर। के निर्माण कार्य के स्थल का निरीक्षण के उपरान्त दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने से उनकी दुरभि संधि को प्रकट करता है तथा निर्माण कार्य का स्थल पर जाकर निरीक्षण किये बिना ही निरीक्षण नोट जारी करना आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2041/92-2-2019-55एम(जांच)/2019, दिनांक 06.09.2019 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल चित्रकूटधाम बांदा के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी तथा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड चित्रकूट को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र संख्या-2484/92-2-2019-55एम/2019, दिनांक 08.11.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल चित्रकूटधाम बांदा के विरूद्ध अनुमोदित आरोप पत्र शासन के पत्र दिनांक 13.11.2019 द्वारा जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता(पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को प्रेषित करते हुए नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या शासन में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 17.12.2019 द्वारा जांच आख्या शासन मे उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी ने अपचारी अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध अधिरोपित कुल-01 आरोप को अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये बचाव उत्तर व संलग्न साक्ष्य स्वरूप अभिलेखों के सापेक्ष जांच आख्या की विवेचना में आरोप संख्या-1 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 06.01.2020 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो अपचारी अधिकारी के पत्र दिनांक 21.01.2020 द्वारा शासन मे उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध अधिरोपित आरोप संख्या-1, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना मे आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या-1 के संबंध मे प्राप्त अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि आंशिक रूप से प्रमाणित आरोप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1 जो किसी शासकीय क्षति से संबंधित नहीं है तथा जांच अधिकारी की जांच आख्या में अपचारी अधिकारी को निरीक्षण के उपरान्त दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही न करना एवं मानक के विपरीत व निम्न कोटि का कार्य कराये जाने के संबंध में कोई भी निरीक्षण नोट न जारी किये जाने हेतु उन्हें उत्तरदायी पाया गया किन्तु श्री राजेन्द्र प्रसाद जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त हो गयें हैं को उक्त लापरवाही हेतु किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का कोई अवसर नहीं रह गया है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2041/92-2-2019-55एम(जांच)/2019, दिनांक 06.09.2019 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल चित्रकूटधाम बांदा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को दण्ड रहित समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-59/2020/823(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल चित्रकूटधाम बांदा सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
संयुक्त सचिव।

http://s asanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।